

प्रेषक,
जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार परिसर में आर्काइवल गैलरी के निर्माण कराये जाने की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1327/सं०नि०-6(90)/2014-15 दिनांक 16 अगस्त, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार परिसर में आर्काइवल गैलरी के निर्माण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई, हरदोई द्वारा गठित आगणन धनराशि रू० 1615.67 लाख का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा करते हुए कार्य की मूल्यांकित लागत रू० 1219.51 लाख के सापेक्ष कुल धनराशि रू० 900.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। तदक्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रश्नगत कार्य हेतु रू० 400.00 लाख (रूपये चार करोड मात्र) का बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि रू० 197.56 लाख (रूपये एक करोड सत्तानबे लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- शासनादेश संख्या-27/2016/87/चार-2016-33(बजट)/2015 दिनांक 15 फरवरी, 2016, शासनादेश संख्या-140/2016/1144/चार-2016-33(बजट)/2015 दिनांक 03 अगस्त, 2016, शासनादेश संख्या-18/2017/2750/चार-2016-33(बजट)/2015 दिनांक 07 मार्च, 2017 तथा शासनादेश संख्या-55/2018/779/चार-2018-33(बजट)/2015 दिनांक 24 मार्च, 2018 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

3- उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक -4202 -शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -33-उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ परिसर में आर्काइवल गैलरी निर्माण -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 111 /2018/ 3109 /चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
- 3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, उ०प्र० राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ ।
- 6- महाप्रबन्धक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद , लखनऊ।
- 7- परियोजना प्रबन्ध, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई, हरदोई।
- 8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)

विशेष सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।